न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0 न0 ...6.../19

तारीखरजू:- 18.1.19

उनवानः- राजू आदि बनाम चन्द्रकान्ता वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक	फर्द अहकाम	
18/1/19	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री अमरसिंह मीना एडवोकेट व विष्णु कंटक एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य की असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि आगामी पेशी दिनांक 25.02.2019 तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 1791/0.45, 1792/0.23, 1831/0.21, 2644/0.55, 1785/4934/0.09, 1797/0.10, 2641/0.25, 2643/0.16, 2645/0.40, 2711/0.22, 2712/0.18, 2722/0.09, 2962/0.14, 2964/0.10, 2973/0.12, 365/0.05, 366/0.06, 2781/0.10, 1762/0.05, 2612/0.05, 2701/0.08, 2704/0.12, 2706/0.12, 2707/0.06, 2713/0.06, 2721/0.26, 2779/0.05, 2780/0.04, 2787/0.26, 2811/0.03, 2812/0.40, 2818/0.20, 2955/0.04, 2956/0.07, 2957/0.08 2958/0.04, 2960/0.16, 2965/0.07, 2974/0.05, है0 ग्राम पहाडी तहसील टोडाभीम जिला करौली मे आगामी तिथि तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति के आदेश दिए जाते है। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ-साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 25.02.2019 को पेश हो। उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	259-67 18.1.19

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला क...

दिनांक	फर्द अहकाम
25.2.19	प्रार्थी वकील उप०। अप्रार्थी नं. 1 ता 7 की ओर से श्री सुनील कुमार जिंदल Adv. ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी नं. 8, 9 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं है पीठासीन अधिकारी कानून व्यवस्था में व्यस्त है आईन्दा दि० 25.3.19 को पेश हो। रीडर
25.3.19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी चुनाव की ट्रेनिंग में जयपुर है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 26.4.19 को पेश हो। रीडर
26.4.19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 17.6.19 को पेश हो।
17.6.19	वकुलाय उप०। अप्रार्थी नं. 8, 9 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है जवाब अप्रार्थी नं. 1 से 7 पेश करने दि० 17.7.19 को पेश हो।
17.7.19	वकुलाय उप०। अप्रार्थी नं. 1 ता 7 का जवाब पेश किया। जवाब की प्रति प्रार्थी वकील ने प्राप्त की। जवाब शामिल किया वास्ते बहस दिनांक 14.8.19 को पेश हो। रीडर
14.8.19	वकुलाय उप०। बहस वास्ते समय चाहा। समय दिया गया। वास्ते बहस दिनांक 30.8.19 को पेश हो।
30.8.19	वकुलाय अनुपस्थित/पीठासन अधिकारी करौली पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 18.9.19 को पेश हो। रीडर
18.9.19	वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को अपनी बहस में दोहराया। वकील अप्रार्थी ने भी जवाब प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा कथन किया कि प्रतिवादीगण

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

क

फर्द अहकाम

6,7 ने जरिये रजि० विक्रयपत्र अप्रार्थी नं. 1ता.5 से उनका हिस्सा क्रय किया है यदि अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकृत की जाती है तो नामा० की कार्यवाही नही० होगी। इसलिए रिकार्ड की स्थिति के लिए पाबन्द नही० करें। मौके की स्थिति के लिए पाबन्द किये जाने के लिए प्रार्थी वकील ने पुन: अपनी बहस मे कथन किया।

बहसपर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो के अनुसार अप्रार्थी नं. 1ता.5 ने अपना हिस्सा जरिये रजि० विक्रय पत्र अप्रार्थी नं. 6,7 को विक्रय किया है। इसलिए रिकार्ड की स्थिति यथावत रखने की स्थिति मे नामा० की कार्यवाही प्रभावित होती है इसलिए अप्रार्थीगण को दावा के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखना उचित पाता हूं।

अत: अप्रार्थीगण को दावा के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम पहाडी की भूमि खसरा नम्बर $\frac{1791}{0.45}$, $\frac{1792}{0.23}$ $\frac{1831}{0.21}$, $\frac{2644}{0.55}$ $\frac{1785/4934}{0.09}$, $\frac{1797}{0.10}$, $\frac{2641}{0.25}$, $\frac{2643}{0.16}$, $\frac{2645}{0.40}$, $\frac{2711}{0.22}$ $\frac{2712}{0.18}$ $\frac{2722}{0.09}$, $\frac{2862}{0.14}$, $\frac{2864}{0.10}$, $\frac{2873}{0.12}$, $\frac{365}{0.05}$, $\frac{366}{0.06}$, $\frac{2781}{0.10}$, $\frac{1762}{0.05}$, $\frac{2612}{0.05}$, $\frac{2701}{0.08}$, $\frac{2704}{0.12}$, $\frac{2706}{0.12}$, $\frac{2707}{0.06}$, $\frac{2713}{0.06}$, $\frac{2721}{0.26}$, $\frac{2779}{0.05}$, $\frac{2780}{0.04}$, $\frac{2787}{0.26}$, $\frac{2811}{0.03}$, $\frac{2812}{0.40}$, $\frac{2818}{0.20}$, $\frac{2855}{0.04}$, $\frac{2856}{0.07}$, $\frac{2857}{0.08}$ $\frac{2858}{0.04}$, $\frac{2860}{0.16}$ $\frac{2865}{0.07}$, $\frac{2874}{0.05}$ पर मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 18.9.19 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दुर्गाप्रसाद मीना)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner